

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती मंजू जैन, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तालेडा, जिला बून्दी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुढा, जिला बून्दी किया गया था जिसके विरुद्ध श्रीमती मंजू जैन द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3508/2019 मंजू जैन बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3508/2019 में माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2019 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष रिक्त पद दर्शाते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और प्रत्यर्थी विभाग को उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसके संबंध में राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) पारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अपील अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी पारिवारिक परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन/समायोजन राउमावि जमितपुरा, कोटा/राउमावि तालेडा, जिला बून्दी, में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों एवं माननीय अधिकरण के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व मनन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी को बून्दी जिले में ही स्थानान्तरित किया गया है परन्तु याचिकार्थी केवल मात्र अपने निवास स्थान के निकटतम विद्यालय में ही पदस्थापित रहना चाहती है जो कि किसी भी राज्य सेवा के अधिकारी के लिए उचित नहीं है। राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा राज्य सेवा के अधिकारी को प्रशासकीय आवश्यकता, विभागीय प्राथमिकता, छात्र एवं राज्य हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी श्रीमती मंजू जैन द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

  
(हिमाशु गुप्ता)  
आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर


दिनांक 17.10.2020

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/मंजू/3508/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बून्दी।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बून्दी।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।

8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती मंजू जैन, प्रधानाचार्य को आदेश की सूचनार्थ।
11. निजी / रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)